अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

आदेश फलक

धारा–144 द0प्र0सं0
वाद संख्या ....209/2019....

कैरा उर्फ दीपक गुड़िया

—— बनाम् ——

मुकेश सुरीन

21-12-2019 चूँकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या ....2114 दिनांक 17-12-19.... के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि ....प्रथम पक्ष (1) कैरा उर्फ दीपक गुड़िया द्वितीय.... 04-01-20

.... 17-01-20

....पक्ष (1) मुकेश सुरीन.... नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शांति भंग 29-01-20

होने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। विधि–व्यवस्था को बनाये रखने हेतु द०प्र०सं० की धारा–144 के तहत कार्रवाई आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा–144 द०प्र०सं० के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण–पृच्छा न्यायालय में दिनांक ....28.12.19....तक दाखिल करें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहद्दी
नन्दपुर	85 खाता 207	214	758	0.03000 dec Total 0.24 dec	पूर्व0 W. Village Rasta पश्चिम S. O.P. उत्तर E- 1st party दक्षिण N. 1st party

21.12.19

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

29-01-20 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के पैरवी ① दीपक कुमार उपस्थित। द्वितीय पक्ष के पैरवी ① मुकेश कुमार उपस्थित। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त अभिलेख दिनांक 07-02-20 को उपस्थापित करें।

07-02-20 अभिलेख उपस्थापित द्वितीय पक्ष के ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा हाजरी दी गई। अभिलेख दिनांक-18-02-20 को उपस्थापित करें।

18-02-20 अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा हाजरी दी गई। प्रथम पक्ष के ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा-हाजरी दी गई। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त अभिलेख दिनांक 20-02-20 को उपस्थापित करें।

20-02-20 अभिलेख कि उपस्थापित। प्रथम पक्ष के ओर से अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा हाजरी दी गई। द्वितीय पक्ष के ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा हाजरी दी गई। वाद की कार्यावधि पूर्ण हो गई है, वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

15-09-20 अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के ओर से अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दिया गया तथा इसमें अनुरोध किया गया की इस वाद में समय अवधि समाप्त होने पर वाद को समाप्त करने का आदेश किया जाय।

इस वाद की कार्यावधि पूर्ण हो चुकी है, किसी कारण वश तत्कालिन पदा० उचित समय पर आदेश नहीं कर सके। अतः इस वाद की कार्रवाई आज समाप्त की जाती है।